

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद संख्या-4040/2023

=====

बिनित कुमार पुत्र अशोक कुमार सिंह @अशोक कुमार के पुत्र निवासी द्वारिका हाउस
गंगजला वार्ड सं. 17 पत्रालय और थाना-सहरसा, जिला-सहरसा।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. आबकारी और निषेध विभाग, बिहार, पटना के प्रधान सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता, सहरसा।
3. आबकारी अधीक्षक, सहरसा।
4. पुलिस अधीक्षक, सहरसा।
5. जिला-सहरसा के अंतर्गत सहरसा थाना के थाना प्रभारी

.....उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

=====

ए. बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016-धारा 56, 57 बी, 58, 61, 92,
93, 95 और बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम, 2021-प्रासंगिक सांविधिक
प्रावधान - चर्चा (पैरा-9 से 16)

बी. बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016-धारा 30-अवैध शराब/मादक पदार्थों
के परिवहन में वाहन का उपयोग इसकी जब्ती और जब्ती के लिए अनिवार्य है। माना

जाता है कि किसी भी अपराध में इसके उपयोग के बिना किसी भी वाहन को जब्त या जब्त नहीं किया जा सकता है। (पैरा-17)

सी. "उपयोग" शब्द का अर्थ- (संदर्भ दिया गया: विल्सन सी. सी बनाम केरल राज्य (2022 लाइव लॉ (केरल) 627), तौसीफ अहमद बेंगरे बनाम केरल राज्य (MANU/KE/0426/2018) (पैरा-18)

डी. बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016-बिहार सरकार-पत्र दिनांक 07.02.2020 पत्र संख्या 13/एचसी-06-55/2020-670 पैरा-2-निर्देश के अनुसार इस अदालत का ऐसा वाहन, जिससे कोई शराब बरामद नहीं हुई है, जब्त नहीं किया जाएगा। पैरा-3- जब वाहन चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाया जा रहा था, लेकिन वाहन से कोई शराब बरामद नहीं हुई है, तो केवल चालक पर ही मुकदमा चलाया जाएगा।

ई. निर्धारित:- वाहन से कोई मादक पदार्थ या शराब बरामद नहीं-पैट से केवल 180 मि.ली. की बरामदगी-मोटरसाइकिल का अवैध शराब ले जाने के लिए उपयोग होना ठहराया नहीं जा सकता है-"उपयोग" शब्द को उदार या व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता है। (पैरा -20)

एफ. बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016-किसी भी तरह से अधिकारी को तथ्यों और परिस्थितियों में वाहन को जब्त करने या जब्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है-जब्त और जब्त-कानून के किसी भी अधिकार के बिना-मनमाना आदेश और अनुच्छेद 14 की अवहेलना-अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन-याचिकाकर्ता पर्याप्त मुआवजे का हकदार है-1,00,000 का मुआवजा-10 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना-याचिका स्वीकृत की जाती है।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद संख्या-4040/2023

=====

बिनित कुमार पुत्र अशोक कुमार सिंह @अशोक कुमार के पुत्र निवासी द्वारिका हाउस गंगजला वार्ड सं. 17 पत्रालय और थाना-सहरसा, जिला-सहरसा।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. आबकारी और निषेध विभाग, बिहार, पटना के प्रधान सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता, सहरसा।
3. आबकारी अधीक्षक, सहरसा।
4. पुलिस अधीक्षक, सहरसा।
5. जिला-सहरसा के अंतर्गत सहरसा थाना के थाना प्रभारी

.....उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री दिवाकर प्रसाद सिंह अधिवक्ता,
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद जीपी-7
 : सुश्री सुप्रग्या, जीपी-7 के अ.लि.

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सीएवी निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

तिथि:- 30-01-2024

वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है: .

“(i) आवकारी पुनरीक्षण संख्या-16/2022(विनित कुमार बनाम आवकारी आयुक्त एवं अन्य) में पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 11.04.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए।

(ii) आबकारी अपील वाद संख्या 822/2021(बिनित कुमार बनाम समाहर्ता, सहरसा और अन्य) में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 14.12.21 के आदेश को रद्द करने के लिए उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए

(iii) ज़बती वाद सं. 102/2018-19 में समाहर्ता, सहरसा द्वारा पारित दिनांकित 14.08.21 आदेश को रद्द करने के लिए उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिये।

(iv) कोई अन्य राहत या राहत जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार पाया जाएगा।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य, जैसा कि अभिलेख से सामने आया है, यह है कि जब याचिकाकर्ता निबंधन स.बी आर 19K5509 वाले मोटरसाइकिल पर सवार था, उसे पुलिस ने संदेह के आधार पर रोका और तलाशी लेने पर याचिकाकर्ता के पैंट से 180 एमएल भारत में निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई। इसके बाद, कथित अवैध शराब और प्रश्नगत वाहन को जब्त कर लिया गया और याचिकाकर्ता बिनित कुमार के खिलाफ सहरसा सदर थाना कांड संख्या 1006/2017 वाली प्राथमिकी 26.09.2017 को दर्ज की गई। इसके बाद, विद्वान समाहर्तासह जिला दंडाधिकारी सहरसा द्वारा 2018-19 का जब्ती वाद संख्या 102 शुरू किया गया। जिसमें, शुरू में, याचिकाकर्ता की मोटरसाइकिल को याचिकाकर्ता के पक्ष में इस अदालत के सी.डब्लू.जे.सी. संख्या-1231/2019 में दिनांक 18.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में अस्थायी रूप से रिहा कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब्ती वाद सं.- 102/2018-19 में पारित, दिनांक 14.8.2021 के आदेश के माध्यम से, प्रश्नगत मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया और नीलामी करने का निर्देश दिया गया। जब्ती और नीलामी के उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा 2021 के आबकारी अपील वाद संख्या 822/2021 में अपीलीय प्राधिकरण यानी आबकारी आयुक्त, पटना के समक्ष चुनौती दी गई थी। हालाँकि, आबकारी अपील वाद संख्या 822/2021 में पारित 14.12.2021 दिनांकित आदेश के अनुसार, जिला दंडाधिकारी-सह-समाहर्ता, सहरसा द्वारा पारित ज़ब्ती और नीलामी आदेश को बरकरार रखा गया था। उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 14.12.2021 को आबकारी पुनरीक्षण वाद संख्या 16/2022 में अपर मुख्य सचिव, पटना के समक्ष फिर से चुनौती दी गई थी। पुनरीक्षण में, प्रश्नगत वाहन को वाहन के बीमा मूल्य के 50 प्रतिशत के भुगतान पर गैर-वापसी योग्य दंड के रूप में रिहा करने का निर्देश दिया गया था।

3. उपरोक्त आदेशों से व्यथित होने के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत वाहन का एक पंजीकृत मालिक है और उसके वाहन को मनमाने ढंग से जब्त कर लिया गया है और कुर्क कर लिया गया है और नीलामी का निर्देश दिया गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग कथित रूप से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के परिवहन में किसी भी तरह से नहीं किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार याचिकाकर्ता के पेंट से 180 एम. एल. अवैध शराब की कथित बरामदगी की गई थी और इस तरह, यह कथित तौर पर याचिकाकर्ता के पास से बरामद किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग अवैध शराब ले जाने किया गया था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि वास्तव में, याचिकाकर्ता के कब्जे से अवैध शराब की कोई बरामदगी नहीं की गई थी, और उसे पुलिस द्वारा वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वास्तव में, प्रश्नगत वाहन याचिकाकर्ता के घर से जब्त कर लिया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वाहन किसी भी तरह से जब्ती और कुर्क के लिए उत्तरदायी नहीं है। याचिकाकर्ता अपने संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन और जबरन मुकदमेबाजी पर खर्च के मुआवजे के साथ वाहन को वापस करने का हकदार है।

5. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील, हालांकि, आक्षेपित आदेशों का बचाव करते हुए कहते हैं कि प्रश्नगत वाहन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है और इसलिए, आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं है और याचिकाकर्ता किसी भी राहत के लायक नहीं है जैसा कि अनुरोध किया गया है।

6. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों के मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए जो कानूनी प्रश्न उत्पन्न होते हैं, वे यह हैं

कि क्या प्रशनगत वाहन जब्त और कुर्क किए जाने के लिए उत्तरदायी है और क्या याचिकाकर्ता वाहन के बीमा मूल्य का 50 प्रतिशत को देने के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्देशित है या याचिकाकर्ता मुआवजे के साथ वाहन को वापस करने का हकदार है।

7. इससे पहले कि हम पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करें, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और मामले के कानूनों की जांच करना अनिवार्य होगा।

8. बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 56, 57बी, 58, 61, 92, 93, 95 और बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम, 2021 मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान हैं।

9. **अधिनियम की धारा 56** में जब्त किए गए वाहनों के साथ-साथ अन्य जब्त की गई वस्तुओं को जब्त करने का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार, जैसा कि यह 2022 में संशोधन से पहले था, किसी भी मादक पदार्थ या शराब को ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला वाहन जब्त के लिए उत्तरदायी है। धारा 56 का पूर्व-संशोधन प्रावधान प्रासंगिक है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा 26.09.2017 को कथित अपराध किया गया है। धारा 56 जैसा कि 2022 में संशोधन से पहले था, इस प्रकार है:

“56. ज़ब्त किए जाने योग्य चीजें- जब भी कोई अपराध किया गया है, जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय है।

(क) किसी भी नशीले पदार्थ या शराब का अवैध रूप से अर्थात्, परिवहन निर्माण, बिक्री भंडारण, स्वामित्व, सामग्री, बर्तन, कार्यान्वयन उपकरण, पैकेज या आवरण या अन्य सामग्री यदि कोई हो तो ऐसे पात्र, पैकेज या अविरण के

प्रयोजनों के लिए ऐसे नशीले पदार्थ या शराब का भंडारण, निर्माण या लेबलिंग करना यदि कोई;

(ख) किसी भी मादक पदार्थ या शराब ले जाने के लिए उपयोग में लाये गए कोई भी पशु, वाहन, पोत या अन्य वाहन।

(ग) कोई भी परिसर या उसका हिस्सा जिसका उपयोग किसी भी शराब या मादक पदार्थ के भंडारण या निर्माण के लिए या इस अधिनियम के तहत कोई अन्य अपराध करने के लिए किया गया हो;

अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित तरीके से जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा,

(घ) राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो तलाशी, जब्ती और कुर्की के तौर- तरीके के संबंध में आवश्यक निर्देश, दिशानिर्देश, विनियम और निर्देश जारी कर सकती है। "

(जोर दिया गया)

10. 2022 में संशोधन के माध्यम से धारा 57 बी में प्रावधान किया गया है कि निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत दंडनीय कोई भी अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया गया कोई भी वाहन और जिसे किसी भी पुलिस अधिकारी या उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया है, समाहर्ता द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे जुर्माने के भुगतान पर रिहा किया जा सकता है। यह धारा अपने स्पष्टीकरण संख्या 2 के आधार पर सभी लंबित ज़ब्ती कार्यवाही में लागू होती है। यह खंड इस प्रकार है:

"57B. जारी की जाने वाली वस्तुएँ या परिसर दंड- (1) इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी पशु,

वाहन, पोत या अन्य वाहन जिसे किसी भी पुलिस अधिकारी या आवकारी अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया है, समाहर्ता द्वारा ऐसे जुर्माने के भुगतान पर रिहा किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(2) इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए उपयोग किए गए किसी भी परिसर या उसके हिस्से को, जिसे किसी भी पुलिस अधिकारी या आवकारी अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया है, समाहर्ता द्वारा ऐसे जुर्माने के भुगतान पर जारी किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(3) यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है, तो समाहर्ता धारा-58 के अनुसार उक्त पशु, वाहन, पोत या अन्य वाहन और परिसर को जब्त करने के लिए आगे बढ़ेगा।

स्पष्टीकरण 1.- अभियुक्त का यह अधिकार नहीं होगा कि वह आवश्यक जुर्माने के भुगतान पर अपने वाहन, वस्तु या परिसर को छुड़वा ले। एक पुलिस प्राधिकारी या आवकारी अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर लिखित रूप में दर्ज किये जाने वाले कारण के बावजूद, समाहर्ता उक्त वाहन, वस्तु या परिसर को मुक्त करने से इनकार कर सकता है और जब्ती और नीलामी/विनाश के साथ आगे बढ़ सकता है।

स्पष्टीकरण 2.-समाहर्ता, इस संशोधन के लागू होने की तारीख से, चल रही जब्ती की कार्यवाही को बंद कर देगा यदि संबंधित व्यक्ति अधिसूचित जुर्माना देता है और ऐसे वाहन, परिवहन या परिसर को मुक्त कर देगा।

स्पष्टीकरण 3.- इस तरह की रिहाई विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे के परिणाम, यदि कोई हो, को प्रभावित नहीं करेगी।

(जोर दिया गया)

11. अधिनियम की धारा 58 में जिला समाहर्ता या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा वाहन या परिवहन और अन्य चीजों को जब्त करने की प्रक्रिया और शर्तों का प्रावधान है। धारा 58 की उप-धारा 1 के अनुसार, वाहन को जब्त करने वाले अधिकारी को बिना किसी उचित देरी के जिला समाहर्ता को रिपोर्ट करना आवश्यक है और उप-धारा 2 के अनुसार यदि समाहर्ता संतुष्ट है, रिपोर्ट के अनुसार, कि इस अधिनियम के तहत एक अपराध किया गया है, तो वह वाहन को जब्त करने के लिए अधिकृत है, लेकिन, उप-धारा 3 के अनुसार, सुनवाई के लिए संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर देने के बाद ही। धारा 58 इस प्रकार है:

“58. जिला समाहर्ता द्वारा जब्ती- (1) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी कुछ भी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त या हिरासत में लिया जाता है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने और हिरासत में लेने वाला अधिकारी बिना किसी उचित देरी के जिला समाहर्ता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिनकी उक्त क्षेत्र पर अधिकारिता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जिला समाहर्ता यदि संतुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, तो वह ऐसे अपराध के लिए अभियोजन शुरू कर सकता है या नहीं और चाहे कोई मामला किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हो या नहीं, ऐसी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दें;

(3) समाहर्ता, उप-धारा (2) के तहत आदेश पारित करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

(4) उप-धारा (2) के तहत ज़ब्त करने का आदेश देते समय, जिला समाहर्ता यह भी आदेश दे सकता है कि ऐसी संपत्तियां जिन्हें ज़ब्त करने का आदेश संबंधित है, जिन्हें उसकी राय में संरक्षित नहीं किया जा सकता है या जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाए। जब भी किसी ज़ब्त की गई वस्तु को इन प्रावधानों के अनुरूप नष्ट करना पड़ता है, तो उसे किसी कार्यकारी दंडाधिकारी या अधिकारी की उपस्थिति में, जैसा भी मामला हो, ज़ब्त करने या कब्जा करने का आदेश देते हुए, उप-निरीक्षक के पद से नीचे के आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाएगा;

(5) उप-धारा (2) के तहत ज़ब्त करने का आदेश देते समय, यदि जिला समाहर्ता की राय है कि ऐसा करना लोक हित में समीचीन है, तो वह उक्त संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचने या विभागीय रूप से निपटाने का आदेश दे सकता है और राज्य सरकार के पास आय जमा कर सकता है।

(6) जिला समाहर्ता इस तरह की ज़बती के एक महीने के भीतर आबकारी आयुक्त को ज़बती के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(जोर दिया गया)

12. धारा 61 में प्रावधान है कि जब बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 58 के तहत किसी भी संपत्ति, जिसमें वाहन भी शामिल है, को ज़ब्त करने का आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश अंतिम हो गया है, तो

संपत्ति राज्य सरकार में किसी भी बोझ से मुक्त हो निहित हो जाती है। धारा 61 इस प्रकार है:-

“61. समाहर्ता के पास निहित करने के लिए जब्त की गई वस्तुएँ- जब धारा 58 के तहत किसी संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश ऐसी संपत्ति के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में अंतिम हो गया है, तो ऐसी संपत्ति या उसका हिस्सा, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार के पास किसी भी बोझ से मुक्त होकर निहित होगा।

13. धारा 92 अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित अंतिम आदेशों के खिलाफ विभागीय अपील का प्रावधान करती है। जिला समाहर्ता से कम रैंक के आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश 60 दिनों के भीतर जिला समाहर्ता को अपील योग्य है, जिला समाहर्ता द्वारा पारित आदेश आबकारी आयुक्त को अपील योग्य है और आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश 90 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील योग्य है। हालांकि, आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील प्रदान नहीं की गई है। धारा 92 इस प्रकार है:

“92. अपील करते हैं:- (1) इस अधिनियम के तहत आबकारी आयुक्त या समाहर्ता के अलावा किसी भी आबकारी अधिकारी द्वारा पारित सभी अंतिम आदेश, आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर समाहर्ता को अपील करने योग्य होंगे।

(2) समाहर्ता और आबकारी आयुक्त द्वारा पारित सभी अंतिम आदेश शिकायत किए गए आदेश की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर क्रमशः आबकारी आयुक्त और राज्य सरकार को अपील करने योग्य होंगे। बशर्ते कि अपील पर

आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील नहीं होगी।

(3) राज्य सरकार इस संबंध में नियम बना सकती है।

14. धारा 93 विभागीय पुनरीक्षण का प्रावधान करती है। पुनरीक्षण की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। धारा 93 इस प्रकार है: .

“93. पुनरीक्षण:- राज्य सरकार, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या उसे किए गए आवेदन पर, किसी भी आदेश की शुद्धता और वैधता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, किसी भी आबकारी अधिकारी या किसी दस्तावेज के समक्ष किसी भी कार्यवाही के अभिलेख की मांग और जांच कर सकती है, जिसमें इस अधिनियम के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण या इनकार या परमिट, पास आदि से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं, और ऐसी किसी भी कार्यवाही की नियमितता के बारे में और ऐसे रिकॉर्ड की मांग करते समय, निर्देश दे सकती है कि आदेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाए जब तक कि अभिलेख की जांच लंबित न हो। अभिलेख की जांच करने के बाद, राज्य सरकार ऐसे आदेश को रद्द, उलट, संशोधित या पुष्टि कर सकती है, या ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकती है जो वह उचित समझे।

15. बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 95 के तहत, बिहार सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम, 2021 बिहार सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 95 के तहत बनाए गए हैं। नियम 12 ए, जैसा कि 2022 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जुर्माने के भुगतान पर परिवहन, वाहन आदि को छोड़ने का प्रावधान करता है। यह

नियम अपने स्पष्टीकरण के आधार पर सभी लंबित ज़ब्ती कार्यवाही में लागू होता है। यह नियम इस प्रकार है:

“12 ए. जुर्माने के भुगतान पर वाहनों, परिवहन आदि को रिहा करना:-

(1) यदि अधिनियम के तहत किसी पुलिस या आबकारी अधिकारी द्वारा कोई वाहन, वाहन, पोत, पशु आदि जब्त किया गया है, तो अधिनियम की धारा 57 बी (1) के संदर्भ में, समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, उक्त वाहन या वाहन आदि के मालिक द्वारा फॉर्म IV में आवेदन प्राप्त होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा आदेशित जुर्माने के भुगतान पर उक्त वाहन या वाहन को रिहा कर सकता है।

बशर्ते, जहां यह पता लगाना संभव नहीं है कि वाहन का मालिक या मालिक वाहन का दावा करने नहीं आ रहा है, वहां समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, जब्ती की तारीख से 15 दिनों तक इंतजार करने के बाद, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहन को जब्त करने और नीलाम करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(2) जुर्माने की राशि समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा तय की जाएगी। जुर्माना लगाते समय, उसे बरामद मादक पदार्थ की मात्रा, वाहन के मालिक की भागीदारी और वाहन के नवीनतम बीमा मूल्य को ध्यान में रखना होगा। किसी भी मामले में जुर्माना वाहन के बीमित मूल्य के 10 प्रतिशत से कम और पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। बीमित मूल्य बीमा कंपनी द्वारा मूल्यांकन किए गए वाहन का मूल्य है। जहाँ, बीमित मूल्य उपलब्ध नहीं हो या समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास यह मानने का कारण हो कि वाहन का मूल्य कम है, वह जिला परिवहन

अधिकारी से मूल्यांकन कराएगा। किसी भी मामले में, समाहर्ता जब्ती की तारीख से 15 दिनों से अधिक इंतजार नहीं करेगा और यदि इस अवधि के दौरान आरोपी/मालिक जुर्माना नहीं देता है, तो वह जब्ती/नीलामी के साथ आगे बढ़ेगा।

(3) उपरोक्त के बावजूद, यदि पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर, समाहर्ता या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि वाहन या वाहन को छोड़ना सार्वजनिक हित में नहीं होगा, तो वह उक्त वाहन या वाहन को जब्त करने और उसके बाद की नीलामी/निपटान के साथ आगे बढ़ेगा।

(4) जहां परिवहन ऐसा है कि इसका मूल्यांकन/बीमा संभव नहीं है, वहां समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ऐसा जुर्माना लगाएगा जो वह उचित समझे। ऐसा जुर्माना लगाते समय, समाहर्ता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, अपराध में उसकी संलिप्तता की प्रकृति और बरामद मादक पदार्थ की मात्रा का उचित ध्यान रखना होगा।

(5) इस तरह का जुर्माना, विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे के परिणाम, यदि कोई भी हो, की परवाह किए बिना, गैर-वापसी योग्य होगा।

(6) वाहन/परिवहन का मालिक, वाहन/परिवहन को छोड़ने के बाद, अधिकारियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वाहन/परिवहन का प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण:- वाहनों की जब्ती/नीलामी के सभी लंबित/चल रहे मामलों में, समाहर्ता या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी मौजूदा मालिक को उपरोक्त जुर्माने का भुगतान करने और वाहन को रिहा कराने का अवसर दे सकते हैं।

स्वामित्व के बारे में संतुष्टि होने पर और इस तरह के जुर्माने के भुगतान पर, चल रही जब्ती/नीलामी कार्यवाही को हटा दिया जा सकता है और वाहन को रिहा कर दिया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

16. अधिनियम की धारा 56 (बी) को पढ़न मात्र से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत किसी भी वाहन या परिवहन को तभी कब्जा और जब्त किया जा सकता है जब वाहन का उपयोग किसी भी मादक पदार्थ या शराब को ले जाने/परिवहन के लिए किया गया हो। यह प्रावधान है कि जब्ती की कार्यवाही के दौरान वाहन के मालिक को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। **धारा 57 बी(1)** में यह भी प्रावधान है कि अधिनियम के तहत दंडनीय और जब्त किए गए किसी भी अपराध को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन या अन्य परिवहन को जुर्माने के भुगतान पर रिहा किया जा सकता है। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम, 2021 के **नियम 12-ए (2)** में यह भी प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 57-बी के तहत जुर्माना लगाते समय संबंधित प्राधिकरण को वाहन मालिक की संलिप्तता को उचित तब्ज्जों देना आवश्यक है।

17. वैधानिक प्रावधानों की उपरोक्त चर्चा से जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वह यह है कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत किसी भी अपराध में इसके उपयोग के बिना किसी भी वाहन को कब्जा या जब्त नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 30 के तहत अवैध शराब या मादक पदार्थ का परिवहन एक अपराध है और इस तरह के अपराध के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, अवैध शराब/मादक पदार्थों के परिवहन में वाहन का उपयोग इसकी जब्ती और जब्ती के लिए अनिवार्य है।

18. "उपयोग" शब्द के अर्थ को समझाने के लिए कुछ मामलों के कानूनों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है। **विल्सन सी. सी. बनाम केरल राज्य [2022 लाइव लॉ (केर) 627]** में, एक व्यक्ति एक वाहन चला रहा था और 0.06 ग्राम एल. एस. डी. स्टांप उसकी जेब में रखे हुए बटुए से बरामद किया गया। उसकी जेब में रखे बटुए से। **माननीय केरल उच्च न्यायालय** ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वाहन का उपयोग प्रतिबंधित पदार्थ के परिवहन के लिए किया गया था और वाहन जब्ती के अधीन है। **तौसीफ अहमद बंगरे बनाम केरल राज्य [मनु/के/0426/2018]** में वाहन चालक चला रहा था और उसके कब्जे से 40 ग्राम गांजा बरामद किया गया। उस स्थिति में, माननीय **केरल उच्च न्यायालय** ने कहा कि यह है वास्तव में यह तर्क देना गलत है कि वाहन का उपयोग प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने के लिए किया गया था।

19. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में बिहार सरकार ने पत्र संख्या 13/एच. सी. 655/2020-670 दिनांक-07.02.2020 अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग सह निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण विभाग द्वारा सभी जिला समाहर्ताओं, पुलिस अधिकारियों और उत्पाद शुल्क अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इस पत्र के माध्यम से, सरकार ने पत्र के पैरा-2 में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार, ऐसा वाहन, जिससे कोई शराब बरामद नहीं की गई है, जब्त नहीं किया जाएगा। पत्र के पैरा-3 में, सरकार ने कहा है कि जब वाहन चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाया जा रहा था, लेकिन वाहन से कोई शराब बरामद नहीं हुई है, तो केवल चालक पर बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

20. वर्तमान मामले की बात करें तो याचिकाकर्ता की मोटरसाइकिल से कोई मादक पदार्थ या शराब बरामद नहीं हुई। याचिकाकर्ता के पेंट से केवल 180 एमएल शराब

बरामद की गई। ऐसी स्थिति में, मोटरसाइकिल का उपयोग अवैध शराब ले जाने के लिए किया गया नहीं कहा जा सकता है जो याचिकाकर्ता के जिम्मे से बरामद की गई थी। 'उपयोग' शब्द को उदार या विस्तृत अर्थ नहीं दिया जा सकता है। इसकी कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए क्योंकि इसके दंडात्मक परिणाम हैं। लेकिन ज़बती प्राधिकरण ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रश्नगत वाहन को जब्त कर लिया। यहां तक कि अपीलीय प्राधिकरण ने भी गलती को ठीक नहीं किया और ज़बती के आदेश को बरकरार रखा। यहां तक कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने भी पूरा न्याय नहीं किया, मोटरसाइकिल के बीमा मूल्य के 50 प्रतिशत के भुगतान के बाद ही वाहन को छोड़ने का निर्देश दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता मुकदमेबाजी पर और खर्च करते हुए इस न्यायालय का रुख करने के लिए विवश था। यह मामला इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के नाम पर संबंधित राज्य के अधिकारियों द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है।

21. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि सभी आक्षेपित आदेश मनमाने हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित हैं। वे याचिकाकर्ता के संपत्ति रखने के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं जैसा कि प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 300ए में प्रदान किया गया है, जो कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से किसी भी तरह वंचित होने पर रोक लगाता है। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम किसी भी तरह से अधिकारी को मामले के कथित तथ्यों और परिस्थितियों में वाहन को कब्जा करने या जब्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। इसलिए, प्रश्नगत मोटरसाइकिल की ज़बती और अधिहरण बिना किसी कानून के अधिकार के है। तदनुसार, ज़बती, अपीलीय और पुनरीक्षण आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं। याचिकाकर्ता, जिसके संपत्ति के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, वह पर्याप्त मुआवजे का हकदार है। वह जबरन मुकदमों के दौरान खर्च और उत्पीड़न के कारण मुआवजे का भी हकदार है।

22. इसलिए, अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा उत्पाद शुल्क पुनरीक्षण संख्या 16/2022 में पारित दिनांक 11.04.2022 का आक्षेपित आदेश, उत्पाद शुल्क अपील वाद संख्या 822/2021 में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 14.12.2021 का आदेश और विद्वान जिला समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी सहरसा, आबकारी जब्ती वाद संख्या 102/2018-19 में पारित दिनांक 14.08.2021 का आदेश रद्द कर दिया जाता है और जिला समाहर्ता, सहरसा को मोटरसाइकिल को तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया जाता है। उसे मुआवजे के लिए याचिकाकर्ता को रुपये 1,00,000-(केवल एक लाख रुपये) का भुगतान करने का भी निर्देश दिया जाता है। मुआवजे का भुगतान आदेश की प्राप्ति के दस (10) दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

23. तदनुसार याचिका की अनुमति दी जाती है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/एस. अली

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।